न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 35/2016

सायल :- बनाम गै0सा0 :-

1. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

1. सिद्धी विनायक सीमेन्ट उद्योग लि0
   मैसर्स चिमनभाई पुत्र पोपटभाई
   रफालिया हाल-निम्बोल
2. मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग
   कन्सट्रक्सन प्रा0लि0 90बी
   बी.एस. पी मुकर्जी रोड़ कलकता
   जरिये लक्ष्मणभाई पुत्र मोहनभाई
   सोजीतरा
3. जीवाभाई पुत्र कृष्णभाई
   कौम-वणकार(हरिजन)
   सा0-धुरिया आगरिया
   तहसील-राजोला,जिला-अमरेली(गुजरात)
4. मगनभाई पुत्र तेजाभाई
   कौम-वणकार(हरिजन)
   सा0-धुरिया आगरिया
   तहसील-राजूला,जिला-अमरेली(गुजरात)
5. किशोरभाई पुत्र तेजाभाई
   कौम-वणकार(हरिजन)
   सा0-धुरिया आगरिया
   तहसील-राजोला,जिला-अमरेली(गुजरात)
6. तेजाभाई पुत्र जेठाभाई
   कौम-वणकार(हरिजन)
   सा0-धुरिया आगरिया
   तहसील-राजूला,जिला-अमरेली(गुजरात)
7. सुगनाराम पुत्र रामलाल
8. शांति पत्नि रामलाल
9. लीला पुत्री रामलाल
10. इन्द्रा पुत्री रामलाल
11. सन्तोष पुत्री रामलाल
12. कानाराम पुत्र नरसिंह
    कौम-सरगरा, निवासी-निम्बोल
    तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी

तारीख रजू: 01/03/2016

उपस्थितः. 1. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 22/11/2017**

वकील मय गै0सा0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण संख्या 01 कम्पनीज

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अधिनियम 1956 के तहत् एक पंजीबद्ध लिमिटेड कम्पनी हैं, जिसका वर्तमान नाम निरमा लिमिटेड निम्बोल हैं एवं इसका पूर्ववर्ती नाम मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड हैं एवं मुख्यालय निरमा हाऊस आश्रम रोड़ अहमदाबाद 380009 गुजरात हैं। तत्पश्चात् इस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स के निवेदन पर माननीय गुजराज उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20/04/2015 के तहत् इस कम्पनी का समागम वादी संख्या 01 कम्पनी मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो गया हैं। जिसका मुख्यालय निरमा हाऊस आश्रम रोड़ अहमदाबाद 380009 गुजरात हैं तथा इसी का एक सीमेन्ट प्लान्ट ग्राम–निम्बोल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में संचालित हैं। इस सीमेन्ट प्लान्ट के विधिक कार्यवाहीयों की देखरेख हेतु एवं इन कार्यवाहीयों से सम्बन्धित जबाब देने बाबत् बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स ने प्रस्ताव लेकर के ग्राम–निम्बोल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित इस सीमेन्ट उद्योग के महाप्रबन्ध विधि श्री अजय खुशु को अधिकृत किया हुआ हैं एवं उक्त व्यक्ति इस कम्पनी की विधिक कार्यवाहीयों के बाबत् जानकारी रखते हैं एवं भारतीय नागरिक हैं। जिसके अधिकार पत्र की प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण की ओर से इस प्रार्थना पत्र के जरिये यह उल्लेखित किया हैं कि राजस्व मौजा–निम्बोल में स्थित भूमि खसरा नम्बर 415 रकबा 10–06 बीघा एवं खसरा नम्बर 415/1 रकबा 10–07 बीघा को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आगे से आगे हस्तान्तरण होते हुए मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट द्वारा खरीदा गया हैं एवं उक्त भूमि का भू–रूपान्तरण वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ सीमेन्ट उद्योग हेतु हो चुका हैं एवं मौके पर सीमेन्ट उद्योग स्थापित किया जाकर वर्तमान में प्लान्ट चालू हालत में हैं तथा इस प्रकरण में यह भी स्वीकृतशुदा स्थिति हैं कि प्रार्थी मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट ने उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ खरीद की हैं एवं उक्त भूमि खरीद करने से पूर्व माफिक पंजीबद्ध बेचान विलेख के अनुसार राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि भी तहसीलदार जैतारण द्वारा ही नामान्तरकरण की कार्यवाहीयां की गई थी एवं नामान्तरकरण की कार्यवाहीयों के उपरान्त भू–रूपान्तरण किये जाने के बाबत् आवेदन पत्र भी राज्य सरकार के समक्ष पेश किये गये थे। जिस पर जिलाधीश महोदय, पाली के निर्देशानुसार श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय जैतारण एवं श्रीमान् तहसीलदार जैतारण एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार जांच करवाये जाने के उपरान्त भूमि का भू–रूपान्तरण किये जाने की अनुशंषा समय–समय पर की गई थी। जिसके बाबत् दस्तावेजी सबूत इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं एवं कालान्तर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिलाधाश महोदय, पाली द्वारा नियमानुसार व विधिक प्रावधानों अनुसार कृषि भूमियों का अकृषि प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण अधिनियम 2007 के प्रावधानों अनुसार भूमियां वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण की जा चुकी हैं व इस बाबत् नियमानुसार भू–रूपान्तरण शूल्क भी जमा करवाया जा चुका हैं तथा इन समस्त तथ्यों की तहसीलदार जैतारण को भलिभांति जानकारी हैं। इस प्रकार से यह स्वीकृतशुदा स्थिति हैं कि उक्त भूमि वर्तमान में कृषि भूमि नहीं रही हैं एवं न ही मौके पर कृषि कार्य किया जा रहा हैं। इस प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत् राजस्व न्यायालय द्वारा जो प्रकरण सुने व विचारण किये जाने योग्य हैं। उसमें यह मामला नहीं आता हैं तथा भूमि का भू–रूपान्तरण हो जाने से राजस्व न्यायालय को इस प्रकरण में कोई सुनवाई का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) के तहत् भूमि से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि कार्य, उपवन, चारागाह व उन पर निर्मित

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मकान, बाड़े, सिंचाई के प्रयोजनार्थ भूमियों से होगा। जबकि इस प्रकरण में विर्णत भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरणशुदा भूमि हैं, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता हैं। इसलिए अदालत श्रीमान् को इस प्रकरण में कोई क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं हैं। विबंद्ध के सिद्धान्तानुसार इस प्रकरण में वर्णित भूमियों के बेचान उपरान्त नामान्तरकरण की कार्यवाही भू-रूपान्तरण की कार्यवाहीयां स्वयं राज्य सरकार एवं उनके प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण द्वारा ही की गई हैं एवं अपने द्वारा की गई कार्यवाहीयों से भी सायल स्वयं पाबन्द हैं। उसके विपरित किसी भी प्रकार का कोई उजर नहीं लेने हेतु भी तहसीलदार स्वयं पाबन्द हैं। इसलिए तहसीलदार जैतारण को इस प्रकरण में कोई बिनाय वाद मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट के विरूद्ध प्राप्त नहीं होता हैं। इसलिए भी यह कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) के तहत् यह प्रावधान दिया गया हैं कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अपनी भूमियों का हस्तान्तरण गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकरण में यह स्वीकृतशुदा स्थिति हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचित वर्ग की घोषित जातियों की सूचि में एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित वर्ग की घोषित जातियों की सूचि में भूमि का खरीददार आता हैं। इसलिए भी बेचान विलेख विधिक प्रावधानों अनुसार निष्पादित हुये हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) के तहत् बेचान हस्तान्तरण करने में कोई विधिक बाधा व अड़चन भी नहीं हैं। जहां विधि की स्थिति स्पष्ट हो ऐसे मामलों में परिपत्र कोई मायने नहीं रखता हैं। इस प्रकार से सायल / वादी की ओर से प्रस्तुत यह कार्यवाही बार्ड बाई लॉ हैं। जो काबिल खारिज के होने से खारित फरमावें। सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा पेश की गई। कार्यवाही के समर्थन में पक्षकार का शपथ-पत्र एवं उस शपथ-पत्र का सत्यापन भी किया जाना आवश्यक हैं, इस प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से न तो शपथ-पत्र प्रस्तुत हुआ हैं एवं न ही उसका सत्यापन ही किया गया हैं। इसलिए भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। इस प्रकरण में सायल / वादी ने वर्ष 2015 को बिनाय वाद प्राप्त होने का उल्लेख किया हैं। जबकि बेचान विलेख वर्षो पूर्व ही हो चुके हैं। इसलिए भी सायल / वादी को गै०सा० / प्रतिवादी के विरूद्ध कोई बिनायवाद प्राप्त नहीं होता हैं एवं यह कार्यवाही बार्ड बाई लॉ हैं।

गै०सा० संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। गै०सा० संख्या 2 से 12 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील गै०सा० ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी का पेश किया। सरकारी पैरोकार प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं कर बहस हेतु तैयार होने से बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी पर सरकारी पैरोकार व वकील गै०सा० की सुनी गई।

बहस समायत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस सरकारी पैरोकार व वकील गै०सा० पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा-निम्बोल में स्थित खसरा नम्बर 415 रकबा 10-06 बीघा व खसरा नम्बर 415/1 रकबा 10-07 बीघा जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 अनुसार नामान्तरकरण संख्या 2746 दिनांक 23/07/2012 एवं 2906 दिनांक 12/04/2013 रूपान्तरकरण से पूरे खाते की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ (सीमेन्ट उद्योग) दर्ज की गई हैं। चूँकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1955 की धारा 42(ख) के तहत् यह प्रावधान दिया गया हैं कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अपनी भूमियों का हस्तान्तरण गै0सा0 अनुसूचित / स्वर्णजाति के व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकरण में किसी गैर अनुसूचित जाति/स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को बेचान / हस्तान्तरण नहीं हुआ हैं तथा उक्त आराजी की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ (सीमेन्ट उद्योग) दर्ज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) के तहत् भूमि से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि भूमि, उपवन, चारागाह व उन पर निर्मित मकान, बाड़े, सिंचाई के प्रयोजनार्थ से होगा। जबकि इस प्रकरण में वर्णित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरणशुदा भूमि हैं। जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता हैं। बेचान विलेख प्रावधानों अनुसार निष्पादित हुये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) के तहत् बेचान हस्तानतरण करने में कोई बाधा नहीं हैं। इस प्रकार सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाना एवं वकील गै0सा0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी का स्वीकार करना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वकील गै0सा0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 नियम 11(ए) (डी) सीपीसी का स्वीकार किया जाता हैं एवं सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

जैतारण पाली

निर्णय आज दिनॉक 22/11/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)